संख्या–50/ III–2/06–49(प्रा0आ0)/05

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 16 जनवरी, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में राजभवन सचिवालय तथा 200 क्षमता का आडिटोरियम के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 979/17भवन–उत्तरांचल/04 दिनांक 03.11.2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभवन सचिवालय तथा 200 क्षमता का आडिटोरियम के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 676.00 लाख पर टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 648.65 लाख (रू0 छः करोड अडतालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. प्रस्तावित योजना पर वित्त व्यय समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पृथमतः उक्त योजना लोक निर्माण विभाग के बजट से स्वीकृत की जा रही है तथा भविष्य में इसका वित्त पोषण 12 वे वित्त आयोग के अर्न्तगत राजधानी निर्माण मद से किया जायेगा ।

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जाय।

6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनूरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

12. यदि उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

14. उक्त स्वीकृति धनराशि का कार्यवार आबंटन का वित्तीय /भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाये ।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–06 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगियता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

16. प्रस्तावित स्थल की भार वाहन क्षमता/मृद्वा परीक्षण आई.आई.टी. रूडकी से कराकर फील्ड टेस्ट तथा लैब टेस्ट की रिर्पोट तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

17. इस संबध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–80 सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य भवन–09 लोक निर्माण (नये कार्य)–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

18. यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0सं0–108 / XXVII /05, दिनांक 13 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–50/ III(2)/05–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिग पटेल नगर देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी।
3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल ,क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी।
5– अधीक्षण अभियन्ता 24 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– श्री एल0एम0पन्त अपर सचिव वित्त(बजट) अनुभाग उत्तरांचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल।
8– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।